न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

क्रमांक :– रीडर/2024/379 दिनांक :– 01.5.2024

प्रेषिति :– तहसीलदार (भू.अ.)
टिब्बी।

विषय :– प्रकरण संख्या 021/2020 पालाराम आदि बनाम् ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 30.4.2024 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थी पालाराम पुत्र सोहनलाल जाति बाल्मिकी निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करनें पर प्रकरण में दिनांक 30.4.24 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 25 की कृषि भूमि चक नम्बर 9 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 220/218(13) किला नम्बर 1 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.015 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 26 की कृषि भूमि चक नम्बर 9 के.एच.आर. पत्थर नम्बर 220/218(13) किला नम्बर 10 की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.015 हैक्टर व किला नम्बर 11 के उतरी–पश्चिमी कॉर्नर में 0.002 हैक्टर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 9 के.एच.आर. के पत्थर नम्बर 219/218(12) किला नम्बर 15 में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर चक नम्बर 9 के.एच.आर. के खाता संख्या 167/152 में से प्रार्थीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:30 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner